B- 3 4
L - 17
Social Justice

अति संवेदनशील वर्ग: ट्रांसजेंडर

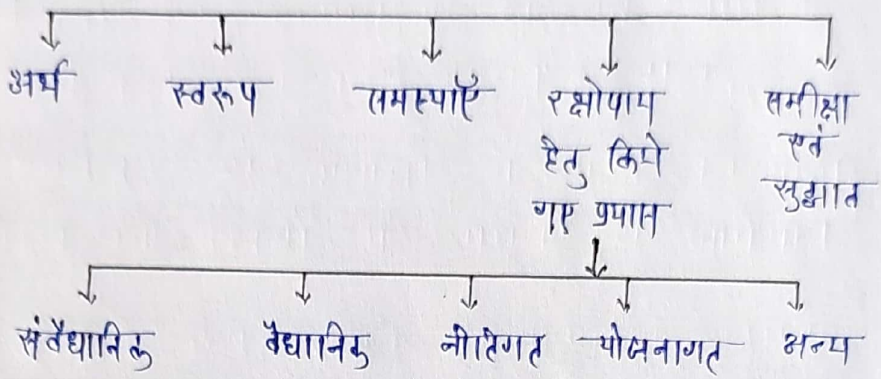

- अर्थ
- स्वरूप
- समस्याएँ
- रक्षोपाय हेतु किये गए प्रयास
  - संवैधानिक
  - वैधानिक
  - नीतिगत
  - योजनागत
  - अन्य
- समीक्षा एवं सुझाव

ट्रांस जेंडर का अर्थ :-

जैविकीय रूप से पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों की असंतुलित स्वरूप वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का (अधिकरण एवं संरक्षण) 2019 के अनुसार " वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलायेगा जिसका लिंग जन्म के समय से नियत लिंग से मेल नहीं खाता हो और इसके अंतर्गत उभय पुरुष (Transmen) या उभय स्त्री (Transwomen) (इसमें परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।)

अत: लिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति (Inter Sexual) Gender queer और किन्नर, हिजड़ा, अरावणी एवं जोगता जैसी सामाजिक, सांस्कृतिक जैसी

KGS IAS KHAN SIR
Scanned by CamScanner

पहचान रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर का स्वरूप :-

जनगणना 2012 के अनुसार, भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर की संख्या दर्ज की गई है परन्तु इनकी अनुमानित संख्या 15 लाख मानी जाती है।

भारत के कुल ट्रांसजेंडर में 28% UP में निवास करते हैं और इनकी कुल आबादी का 68% गाँवों में रहती है और इनमें साक्षरता दर मात्र 46% है।

भारत में ट्रांसजेंडर से जुड़ी समस्याएँ :-

1. पहचान का संकट।
2. निम्न परिस्थिति, अपमान एवं सामाजिक बहिष्कार की समस्या। [NHRC - 2018 के अनुसार भारत में 99.9% ट्रांसजेंडर ने सामाजिक बहिष्कार को झेला है और मात्र 2% ही अपने परिवार के साथ रहते हैं।]
3. इनके, पेशे, कार्य एवं पहनावा को लेकर लोगों द्वारा इनका उत्पीड़न एवं उनकी सुरक्षा की समस्या।
4. शिक्षा एवं निर्णयन के अधिकार से वंचित।
5. समुचित रोजगार के अभाव में भीख

Scanned by CamScanner

माँगने और यौनकर्मी के रूप में काम करने को विवश [NHRC - 2018]

5. 92% ट्रांसजेंडर आर्थिक बहिष्कार के शिकार रहे हैं।

6. सरकारी योजना एवं लाभों से वंचित।

7. IPC की धारा-375-376 (BNS - 63 - 64) / बलात्कार अपराध के लाभों से वंचित।

8. एक लम्बे समय तक विवाह / जोड़ा बनाने के अधिकार से वंचित।
(5 सितंबर, 2018 सुप्रीम कोर्ट द्वारा - 377 के तहत समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर देने तथा 17 अक्टूबर 2023 को SC के निर्णय के बाद नहीं]

9. हीनभावना, तनाव एवं कुंठा से ग्रसित।

भारत में ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय हेतु किये गए प्रयास :-

- 1948 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र पर हस्ताक्षर और 2006 में इण्डोनेशिया के जकार्ता में ट्रांसजेंडर विश्व सम्मेलन में प्रतिपादित जकार्ता सिद्धांत का अनुमोदन।

Scanned by CamScanner

• 2012 में जस्टिस जे० एस० वर्मा समिति द्वारा बलात्कार को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश ताकि ट्रांसजेंडर भी बलात्कार की शिकायत दर्ज करा सकें।

- 15 अप्रैल, 2014, NALSA बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने और उन्हें आरक्षण देने का निर्देश दिया।

इस सन्दर्भ में SC ने निम्नलिखित निर्देश जारी किये -

(i) ट्रांसजेंडर को उनके पुरुष लिंगी होने के बावजूद, संविधान के भाग-3 के तहत उनके मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको तृतीय लिंग माना जाए।

(ii) ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के उनके आत्मा पहचानीकृत लिंग का निर्धारण करने के अधिकार को कायम रखते हुए केन्द्र तथा राज्यों सरकार उनके आत्मपहचानीकृत को सुनिश्चित करे और उनको तृतीय लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करे।

(iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस वर्ग को देश के नागरिक के रूप में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करें और

Scanned by CamScanner

इन्हें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश एवं सरकारी नियोजन में आरक्षण का लाभ प्रदान करें।

(iv) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याएँ, विभेदकारी नीति एवं उत्पीड़न आदि के निदान के लिए तत्काल कदम उठाये तथा उनकी बेहतरी के लिए योजनाएँ बनाकर समाज में उन्हें सम्मानपूर्ण दर्जा दिलाने के लिए कदम उठाए।

(v) 10 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वप्रथम बिहार सरकार की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण को प्रदान किया।

(vi) अप्रैल 2015 में, केन्द्रीय स्तर पर पहली बार तिरुचि शिवा ने ट्रांसजेंडर का अधिकार विधेयक को राज्य सभा में निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

(vii) 19 जुलाई 2019 को भारत सरकार के द्वारा (Transgender व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को मंजूरी दी गयी और इसे अधिनियम के रूप में 1 जनवरी 2020 को लागू किया गया।

Scanned by CamScanner

(viii) 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को विषम लैंगिक संबंधों में विवाह करने की अनुमति प्रदान की।

(ix) केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इनके कल्याणमार्ग की कई योजनायें जैसे- "ट्रांसजेंडर पेंशन योजना, स्मारक योजना आदि भी शुरू की गयी।

मूल्यांकन एवं सुझाव

निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय को राहत मिली है और इनके रक्षोपाय की संभावना मजबूत हुई है परन्तु...

इनका सशक्तिकरण और इनके साथ सामाजिक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब इनसे संबंधित कानून को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाये और ट्रांसजेंडर के पक्ष में परम्परागत पूर्वाग्रह को दूर करते हुए जनमत का निर्माण किया जाये। क्योंकि अभी भी इनके लिए सरकारी प्रयासों में दृढ़इच्छाशक्ति का अभाव है और इनकी संख्या में परम्परागत पूर्वाग्रह बना हुआ है और अभी तक इनके आरक्षण का मुद्दा लंबित है।

Scanned by CamScanner

अतः इस दिशा में जरूरी है कि कुछ सुझावों पर अमल किया जाए जैसे-

(i) सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को और इनके द्वारा निर्मित कानूनों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाए।

(ii) इनकी बेहतरी के लिए विकास योजनाओं के स्तर पर एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाए और इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उनका समुचित क्रियान्वयन किया जाये।

(iii) IPC की धारा 375 - 376 (BNS की धारा 63- 64) को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए।

(iv) IPC की धारा 377 के संबंधों में इनको विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

(v) इस सन्दर्भ में पुलिस एवं प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए।

(vi) मीडिया, युवा एवं समाज को इस दिशा में विशेष भूमिका निभाते हुए इनको सामाजिक मान्यता दी जाए और इनके पहचान संकट का समाधान किया जाए।

The Transgender Persons (Protection of Right Act - 2019 → जनवरी 2020 को लागू → PDf Notes

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner